हुक्म

8/12/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० है। प्रार्थना पत्र 151 CPC बाबत संशोधित डिक्री में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। मूल पत्रावली में पारित निर्णय-डिक्री एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 CPC का एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस तथा आग्रह का अवलोकन किया गया। पूर्व में पारित निर्णय में से वादी क्रम 2, वादी क्रम-4 एवं वादी क्रम-1 के हिस्से में से भारतमाला परियोजना में अवाप्त भूमि के क्रम में स्पष्ट आदेश पारित होने में त्रुटि होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः 151 CPC का वास्ते डिक्री में संशोधन का स्वीकार किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि मूल पत्रावली में पारित निर्णय-डिक्री दिनांक 30.7.2024 में संशोधन कर पारित निर्णय के नीचे लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे। [signature]